न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 68/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. केवलचन्द पुत्र भगवानदास जाति जैन (वडेरा) निवासी कल्याणपुरा पेट्रोल पम्प वाली गली बाड़मेर (मैसर्स रिखबदास केवलचन्द वडेरा डी–9 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मालिक)
2. गोविन्द शर्मा प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स हरी एण्टरप्राईजेज शॉप नंबर 1 प्लॉट नंबर 06 शिक्षक नगर माता का थान जोधपुर
3. सीम्मी पत्नी योगेश कुमार निवासी पंडीतान वाली गली फरीदकोट भागीदार मैसर्स जी एस डेयरीज एनएच 54 गोनीया रोड भाखरा भटींडा (151201)
4. योगेश कुमार सुखीजा पत्नी रविन्द्र कुमार निवासी पंडीतान वाली गली फरीदकोट मैसर्स जी एस डेयरीज एनएच 54 गोनीया रोड भाखरा भटींडा (151201)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिकृत प्रतिनिधिगण उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 14.02.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स रिखबदास केवलचन्द वडेरा डी–9 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **01.11.2021** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड औषधी (2 लीटर जार में)** को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी ब्राण्ड औषधी (2 लीटर जार में)** में से 800 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1458** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड औषधी (2 लीटर जार में)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड औषधी (2 लीटर जार में)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** तथा **Contravenes Regulations No. 2.3.7(2) due to presence of foreign fat** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना–पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **10.03.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिकृत प्रतिनिधिगण उपस्थित। अधिकृत प्रतिनिधिगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 उक्त खाद्य पदार्थ के बेचान का कार्य करते हैं एवं उनके द्वारा किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य नहीं किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 द्वारा अपने लिखित जवाब में प्रकट किया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण उचित सोच–विचार का प्रयोग किये बिना ही प्रस्तुत कर दिया गया है। लिहाजा उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ... अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से ... है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **10.03.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **Test for presence of foreign fat** का मानक स्तर Shall be absent के मुकाबले **Present/Positive** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में खाद्य पदार्थ नमूने के अवमानक पाये जाने के प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर **रूपये 450000/-** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested